हरियाणा का औद्योगिक विकास (1966-2001): जिला महेन्द्रगढ़ का एक अध्ययन

डॉ. नीरज कुमार

सहायक प्रोफेसर, इतिहास, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, बस्तली (करनाल)

शोध-सार

प्रस्तुत शोध-पत्र जिला महेन्द्रगढ़ के औद्योगिक विकास का अध्ययन प्रस्तुत करता है। हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व में आने के समय जिला महेन्द्रगढ़ औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा क्षेत्र था। जिसका कारण पंजाब सरकार की औद्योगिक नीतियां थी। लेकिन वर्ष 1966 के पश्चात् जिला महेन्द्रगढ़ ने औद्योगिक रूप से उन्नति की। जिसमें हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीतियों व जिले की औद्योगिक परिस्थितियों ने अहम भूमि निभाई। लेकिन वर्ष 1989 में जिला रेवाड़ी बनने के कारण महेन्द्रगढ़ जिले को दोबारा औद्योगिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि जिले के अधिकतर उद्योग रेवाड़ी क्षेत्र में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी जिला महेन्द्रगढ़ में खनिजों की प्रचुरता होने के कारण जिला अपने औद्योगिक अस्तित्व को बनाये हुऐ है।

मुख्य बिन्दुः कानौड़, लघु व कुटीर उद्योग, औद्योगिक नीतियां, खनिज, औद्योगिक सहकारी समितियां।

भूमिकाः

हरियाणा प्रदेश भारतीय संघ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा प्रदेश है।[1] हरियाणा अपने अस्तित्व में आने से पहले पंजाब प्रान्त का एक हिस्सा था जिसे 'दक्षिण-पूर्वी पंजाब' के नाम से जाना जाता था। यह 1 नवम्बर, 1966 को 'पंजाब सीमा कमीशन' के अंतर्गत अस्तित्व में आया, जो 31 मई, 1966 को प्रस्तुत की गई थी।[2] जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक छोटा सा जिला है जो प्राचीन काल से अपने अस्तित्व को बनाऐ हुऐ है। यह कस्बा (महेन्द्रगढ़) अपने पूर्व में 'कानौड़' के नाम से जाना जाता था। स्थानीय 'कानोडीया ब्राह्मण' समूह की उपस्थिति के कारण यह स्थान कानौड़ कहलाया। इसकी स्थापना बाबर के एक सेवक मलिक महमूद ने की थी। 17वीं शताब्दी के दौरान मराठा शासक ताँत्या टोपे ने यहां एक किले का निर्माण करवाया। 1861 ई. में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेन्द्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिन्द्र सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेन्द्रगढ़ रख दिया था। इस किले के नाम के कारण यह कस्बा कालान्तर में महेन्द्रगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। इसके पश्चात् नारनौल निजामत का नाम बदलकर महेन्द्रगढ़ निजामत कर दिया गया।[3]

हरियाणा की स्थापना से पहले औद्योगिक विकासः

हरियाणा प्रदेश के साथ-साथ जिला महेन्द्रगढ़ भी वर्ष 1966 से पहले औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा क्षेत्र था। क्योंकि 1961 में क्षेत्र में केवल सात पंजीकृत उद्योग ही कार्यरत थे जैसे- अशोक ऑयल तथा दाल मिल, अग्रवाल मैटल वक्र्स, रेवाड़ी मैटल उद्योग, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन उद्योग आदि। इन उद्योगों में 331 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इसके साथ-साथ वर्ष 1961 के दौरान रेवाड़ी, नारनौल तथा महेन्द्रगढ़ में 5 प्रिंटिंग प्रैस भी कार्य कर रही थी।[4]

उद्योगों का वर्गीकरणः

*Corresponding Author Email: nk3958965@gmail.com
Published: 30 June 2026
DOI: https://doi.org/10.70558/SPIJSH.2026.v3.i6.45807
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

अध्ययनकाल के दौरान औद्योगिक सरंचना के रूप में हरियाणा प्रदेश के साथ-साथ जिला महेन्द्रगढ़ में कर्मचारियों की संख्या व निवेश के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया। 1. बड़े व मध्यम उद्योग 2. लघु व कुटीर उद्योग।[5]

बड़े व मध्यम उद्योग:

वर्ष 1978 तक महेन्द्रगढ़ जिले में बड़े व मध्यम उद्योगों की संख्या केवल 4 थी। जैसे- अग्रवाल मैटल वक्र्स प्राईवेट लिमिटिड(रेवाड़ी), हरियाणा मिनरल लिमिटिड (नारनौल), रेवाड़ी टैक्सटाईल प्राईवेट लिमिटिड (रेवाड़ी) व विलकिंग पौट्रीज। इन उद्योगों का उत्पादन वर्ष 1978 में 254 लाख रूपये था तथा इन उद्योगों में 983 लोगों को रोजगार मिला हुआ था।[6]

1 नवम्बर, 1991 को हरियाणा सरकार ने महेन्द्रगढ़ जिले की रेवाड़ी तहसील को अलग जिले का दर्जा दे दिया। जिसके परिणामस्वरूप महेन्द्रगढ़ जिले के अधिकतर व बड़े व मध्यम उद्योग रेवाड़ी जिले में चले गए। जिससे महेन्द्रगढ़ जिले को औद्योगिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा।[7]

लघु व कुटीर उद्योग:

हरियाणा प्रदेश की तरह लघु व हस्तशिल्प उद्योग जिला महेन्द्रगढ़ के विकास में अहम भूमिका निभा रहे थे।[8] भारत सरकार की विभिन्न औद्योगिक नीतियों जैसे 1980, 1997 के प्रस्तावों में उद्योगों के अर्थ को स्पष्ट किया है। इन प्रस्तावों में लघु उद्योगों को तीन उप-भागों में बांटा गया है: -

1. लघु उद्योग 2. लघु उद्योग की सहायक (अधीनस्थ) इकाईयां 3. बहुत लघु इकाईयां[9]

अध्ययनकालीन समय में जिला महेन्द्रगढ़ में मुख्यतः लघु व मध्यम तथा कुटीर उद्योग भी कार्यरत थे। जिसमें कृषि उद्योग, खनिज उद्योग, तकनीकी उद्योग मुख्य थे। लघु व मध्यम स्तर के उद्योगों की कार्य क्षमता जिले में धीरी-धीरे कम होती जा रही थी। इसका मुख्य कारण उद्योगों की तरफ ध्यान न देने की कमी तथा सरकार द्वारा सहायता न करना था।[10]

वर्ष 1966 के जिले में लघु व मध्यम इकाईयों की संख्या 74 थी जो मार्च 1978 में बढ़कर 705 हो गई। जिनका वर्णन इस प्रकार है: -

जिला महेन्द्रगढ़ में वर्ष 1978 में लघु उद्योगों की संख्या व उत्पादन

तहसील	इकाईयों की संख्या	उत्पादन (लाख रूपये)	रोजगार
रेवाड़ी	358	265.55	1787
नारनौल	267	168.55	972
महेन्द्रगढ़	80	31.6	116
कुल	705	465.70	2875

स्त्रोत: जिला महेन्द्रगढ़ गजेटियर, 1988, रिवैन्यू डिपार्टमैन्ट, हरियाणा सरकार।

अतः उपरोक्त वर्णन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि धीरे-धीरे जिले में लघु उद्योगों की संख्या व उत्पादन में वृद्धि

हुई।

वर्ष 2000-01 में जिले में लघु इकाईयों की संख्या 2272 हो गई। जिसमें 7175 लोगों को रोजगार मिला हुआ था तथा इनका उत्पादन 49.77 करोड़ रूपये था।[11]

प्राचीन काल से भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि व उद्योगों के सामंजस्य पर निर्भर थी। इसी कारण हर गाँव, नगर व कस्बे में हस्तशिल्प उद्योग अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे। मध्यम व लघु उद्योगों के अभाव में जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हस्तशिल्प उद्योगों पर टिकी हुई थी।[12]

कुटीर उद्योग को 'परिवार उद्योग' भी कहा जाता है। इन उद्योगों में कालीन बुनना, खिलोने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोक चित्रकारी कला इत्यादि शामिल थे।[13] क्योंकि कुटीर उद्योगों से ही ग्रामीण लोगों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताऐं पूरी होती थी। ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवार के लोगों द्वारा संचालित किये जाते थे। बढ़ई, बुनकर, जूता निर्माता और चमड़ा बनाने वाला ग्रामीण आदि ग्राम स्थापना के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे।[14]

बढ़ई लकड़ी से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण करते थे। मोची मुख्य रूप से चमड़े का कार्य करते थे। कुम्हार मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जिला महेन्द्रगढ़ आरम्भिक समय से ही कपड़े बनाने व रंगने के लिए प्रसिद्ध था। आरम्भ में कपड़ा हाथ से बनाया जाता था। यहाँ मुख्य रूप से चादर, दरियां, सूती, कम्बल तैयार किऐ जाते थे। रेवाड़ी व नारनौल जूता निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसके अतिरिक्त जिला कांसे की नली व बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध था।[15] लेकिन रेवाड़ी के अलग जिला बनने पर ये उद्योग रेवाड़ी चले गऐ थे।[16]

अध्ययनकालीन समय में कुटीर उद्योगों को विकसित करने के लिए जिले में वर्ष 1969 में ''हरियाणा खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड'' की स्थापना की गई।[17] बोर्ड का लक्ष्य स्थानीय क्षेत्रों में खादी व हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं को अमल में लाना था व कुटीर उद्योग लगाने के लिए लोगों को सब्सिडी की सुविधा देनी थी।[18]

खनिज आधारित उद्योग:

जिला महेन्द्रगढ़ में बड़े व मध्यम, लघु व कुटीर उद्योगों के साथ-साथ खनिज आधारित उद्योग भी कार्यरत थे। इन उद्योगों से जिला महेन्द्रगढ़ काफी धनी था। क्योंकि मार्बल, स्लेट, कच्चा लोहा, क्वार्टज, पत्थर, चूना, अभ्रक, डोलमाइट, पलास्टर, चूना-पत्थर, सीमेन्ट आदि जिले में प्रचुर मात्रा में पाऐ जाते थे। वर्ष 1978 में जिले में 1832 लाख रूपये पूंजी निवेश के साथ 53 इकाईयां खनिज प्रक्रिया में कार्यरत थी। जिसमें 255 व्यक्ति रोजगार में संलग्न थे और वार्षिक बिक्री दर 28.33 लाख रूपये थे।[19]

राज्य सरकार का सहयोग:

राज्य सरकार ने अन्य जिलो की भांति महेन्द्रगढ़ जिले में भी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर नई योजनाऐं लागू की। जैसे भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत दिसम्बर, 1978 में जिला महेन्द्रगढ़ में 'जिला उद्योग केन्द्र' की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर औद्योगिक इकाईयों को विकसित करना था। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके साथ-साथ यह केन्द्र राज्य सरकार की योजनाओं को छोटे पैमाने की इकाईयों की दिशा में लागू करने का कार्य भी करते थे।[20]

वर्ष 1992 की 'नई औद्योगिक नीति' के अंतर्गत राज्य के 114 खण्डों में से 68 को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया। जिसमें महेन्द्रगढ़ जिले में जैसे महेन्द्रगढ़, कनीना, नांगल चैधरी तथा अटेली खण्ड शामिल थे। औद्योगिक नीति 1992 के तहत इन खण्डों को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए इन खण्डों को आकर्षित लोन सब्सिडी

की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।[21]

इसके साथ-साथ औद्योगिक नीति 1997 व 1999 भी लागू की गई। जिनका उद्देश्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का हिस्सा बढ़ाना व रोजगार के अवसर प्रदान करना था।[22]

इसके अतिरिक्त इस समय के दौरान औद्योगिक नीतियों के साथ-साथ जिला महेन्द्रगढ़ में सरकार द्वारा बड़े व मध्यम उद्योगों, लघु व ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समय पर अनेक योजनाएं लागू की। जैसे - बड़े व मध्यम उद्योगों के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी, फोर्जन इन्वैस्टमैन्ट सब्सिडी, लघु उद्योगों के लिए पी. एम. ई. जी. ऋण योजना, एस. एम. आई सब्सिडी, आर. आई. सब्सिडी लागू की।[23] खादी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में वर्कशेड व ग्राम उद्योग योजना लागू की। जिनका लक्ष्य स्थानीय स्तर पर कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, रोजागार की तलाश के लिए शहरी क्षेत्र की ओर पलायन को रोकना व संतुलित आर्थिक विकास कों बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।[24]

इसके अतिरिक्त वर्ष 1998 में 'राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना' लागू की। इस योजना का उद्देश्य उद्यमी मित्रों के माध्यम से प्रथम पीढ़ी के संभावित उद्यमियों की उद्यम स्थापित करने तथा इस हेतू विविध औपचारिकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता व मार्गदर्शन करना था।[25] इसके साथ-साथ 'हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम' ने नारनौल क्षेत्र में 'मारबल परियोजना' के अन्तर्गत मारबल बनाने की फैक्ट्री की स्थापना की।[26]

औद्योगिक सहकारी समितियां:

उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक समितियों का विकास अत्यन्त आवश्यक था। औद्योगिक समितियों के द्वारा उद्योगों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च तकनीक, कच्चे माल की प्राप्ति व पूर्ण वस्तुओं के लिए बाजारीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी।[27]

इस समय के दौरान जिले में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के साथ-साथ औद्योगिक सहकारी समितियां भी कार्यरत थी। जिनके द्वारा कुटीर व लघु उद्योगों को ऋण व सब्सिडी के द्वारा सहायता दी जा रही थी। वर्ष 1978 में जिले में 262 औद्योगिक समितियां कार्यरत थी। जिनके द्वारा जिले को 212800 रूपये की आर्थिक सहायता दी गई।[28] वर्ष 1993-94 में जिले में 310 समितियां कार्यरत थी जिनके द्वारा उद्योगों को 17 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी गई।[29]

आर्थिक सहायता:

जिला महेन्द्रगढ़ औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा जिला घोषित हो चुका था। इसलिए हरियाणा सरकार ने नई फैक्ट्रीयां स्थापित करने के लिए नये उद्यमियों को सुविधाऐं प्रदान की। वर्ष 1978 में हरियाणा सरकार ने लघु उद्योगों के लिए कारखाने लगाने के लिए 250000 लाख रूपये दिये। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंक ने औद्योगिक मदद के तौर पर 12 लाख रूपये दिये। जिनके माध्यम से जिले में 1978 में 47 इकाईयां स्थापित की गई। इसी तरह "हरियाणा फाईनेशियल कारपोरेशन" के द्वारा जिले को 11 नई यूनिट स्थापित करने के लिए 67 लाख रूपये दिऐ।[30] वर्ष 1997-98 में वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जिले को नई इकाईयां लगाने के लिए 1449 लाख रूपऐ आर्थक सहायता के तौर पर दिये।[31]

पंचवर्षीय योजना:

हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व में आने के पश्चात् हरियाणा सरकार द्वारा अन्य हरियाणा के साथ-साथ जिला महेन्द्रगढ़ का भी पंचवर्षीय योजनाओं व वार्षिक योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता द्वारा औद्योगिक विकास करने का

प्रयास किया गया। जैसे- चैथी योजना (1969-74) के अन्तर्गत नारनौल में मार्बल फैक्ट्री लगाने के लिए 6 लाख रूपये खर्च किए गऐ।[32]

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्तर्गत जिला महेन्द्रगढ़ के रेवाड़ी में 3.5 लाख रूपये के निवेश से 'एक्सटैंशन आफ गर्वनमैंट फुटवीयर इंस्टीच्यूट रेवाड़ी' की स्थापना की गई।[33]

निष्कर्ष:

संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्ष 1966 से पहले हरियाणा प्रदेश की तरह जिला महेन्द्रगढ़ भी औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा क्षेत्र था। क्योंकि वर्ष 1961-62 में जिले में केवल 7 पंजीकृत उद्योग ही कार्यरत थे। लेकिन 1966 के पश्चात् जिले ने औद्योगिक विकास की गति प्राप्त की। जिसमें सरकार की औद्योगिक नीतियों, वाणिज्यिक बैंक व औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा दी जाने वाली विŸाीय सहायता ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन वर्ष 1989 में रेवाड़ी को अलग जिला बनाने का खमियाजा जिला महेन्द्रगढ़ को औद्योगिक रूप से उठाना पड़ा। क्योंकि रेवाड़ी के अलग जिला बनने के बाद सभी बड़े उद्योग जिला रेवाड़ी में चले गए। लेकिन फिर भी जिला महेन्द्रगढ़ खनिजों में धनी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वर्तमान समय में औद्योगिक रूप से अपने अस्तित्व को बनाऐ हुए है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1 टैक्नो इक्नामिक सर्वे आफ हरियाणा, 1970, नैषनल कौंसिल आफ अपलाईड इक्नोमिक रिसर्च।

2. उपरोक्त, हरियाणा डैवल्पमैन्ट कमेटी, फाईनैंस रिपोर्ट, चण्डीगढ़, पंजाब,1966

3 जिला महेन्द्रगढ़ गजेटियर, 1988, रिवैन्यू डिपार्टमैंन्ट, हरियाणा सरकार।

4 हरियाणा सरकार, सांख्यिकीय सारांश, हरियाणा, 1966-67, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, चण्डीगढ़, 1968

5. सिंह,मनदीप व कौर, हरविंदर (2004), इक्नामिक डैवल्पमैन्ट आफ इण्डिया, इन इरा आफ प्रोस्पर्टी,, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा. लि.।

6 जिला महेन्द्रगढ़ गजेटियर, 1988, रिवैन्यू डिपार्टमैंन्ट, हरियाणा सरकार ; सांख्यिकीय सारांश, हरियाणा, 1980-81, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग।

7 हरियाणा सरकार, सांख्यिकीय सारांश, हरियाणा, 1990-91, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग।

8 जमुर, आर.एस.(1992), स्माल स्केल एण्ड कोटेज इण्डस्ट्रि इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा. लि.।

9 सिंह,मनदीप व कौर, हरविंदर (2004), पूर्वोद्धृत, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा. लि.।

10 जिला उद्योग विभाग, रिपोर्ट, नारनौल, 2000-01

11 सांख्यिकीय सारांश, महेन्द्रगढ़, 2001, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग।

12 जिला महेन्द्रगढ़ गजेटियर, 1988, रिवैन्यू डिपार्टमैन्ट, हरियाणा सरकार।

13 कुमार, एस. अनिल (2005), स्माल विजन्स एन्टरेप्योनरशिप, आई.के. इंण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस।

14 जिला महेन्द्रगढ़ गजेटियर, 1988, रिवैन्यू डिपार्टमैन्ट, हरियाणा सरकार।

15 उपरोक्त

16 जिला गुड़गांव गजटियर, 1910, रिवैन्यू डिपार्टमैंन्ट, पंजाब सरकार।

17 एस.के. शर्मा, (1975), हरियाणा, 1960-1974, लोक सम्पर्क प्रकाशन।

18 जिला महेन्द्रगढ़ गजेटियर, 1988, रिवैन्यू डिपार्टमैन्ट, हरियाणा सरकार।

19 उपरोक्त

20 हरियाणा सरकार, (1992), जिला महेन्द्रगढ़ एक परिचय, 1990-91, लोक सम्पर्क प्रकाशन

21 गुप्ता, एल.सी. व गुप्ता, एम.सी.(2005) हरियाणा आॅन रोड़ टू माडर्ननाईजेशन, एक्सल बुक्स।

22 जिला उद्योग विभाग रिपोर्ट, नारनौल, 2010-11

23 उपरोक्त

24 उपरोक्त

25 गुप्ता, एल.सी. व गुप्ता, एम.सी.(2005) पूर्वोद्धृत, एक्सल बुक्स।

26 सुब्रहमण्यम, सी.(2005), स्माल इण्डस्ट्रिज इन इण्डिया: दी आऊट लुक, अनमोल पब्लिकेशन प्रा.लि.।

27 जिला महेन्द्रगढ़ गजेटियर, 1988, रिवैन्यू डिपार्टमैन्ट, हरियाणा सरकार।

28 उपरोक्त

29 हरियाणा सरकार (1997), वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, 1995-96, सहकारी विभाग।

30 जिला महेन्द्रगढ़ गजेटियर, 1988, रिवैन्यू डिपार्टमैन्ट, हरियाणा सरकार।

31 हरियाणा सरकार, सांख्यिकीय सारांश, हरियाणा, 2000-01, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग।

32 चैथी पंचवर्षीय योजना, 1969-74, योजना विभाग, हरियाणा।

33 छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85, योजना विभाग, हरियाणा।